

आईसीडब्ल्यू/586/7/2011

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

सप्रू हाउस, बाराखम्बा रोड

नई दिल्ली

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

1. वर्ष 2013 के अधिनियम संख्या 14 का विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
2. यह कानून उन सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य बनाता है, जो केन्द्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्व, नियंत्रित या पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, को एक निर्धारित अवधि के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) बनाना अनिवार्य करता है।
3. तदनुसार, भारतीय विश्व कार्य परिषद के सक्षम प्राधिकारी ने एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

क . श्रीमती नूतन कपूर महावर, संयुक्त सचिव - पीठासीन अधिकारी	
ख. डॉ. निवेदिता रे , निदेशक-शोध	- सदस्य
ग . श्री हरचरण सिंह संधु , वरिष्ठ लेखा अधिकारी	- सदस्य
घ . सुश्री शशि रावत , अर्द्ध व्यावसायिक	- सदस्य
ड . सुश्री मंजू राठौर , अर्द्ध व्यावसायिक	- सदस्य

इस विषय पर सभी पिछले आदेशों के अधिक्रमण में यह जारी किया जाता है।

(राजेश लाल)

अवर सचिव (आईसीडब्ल्यूए)

3.05.2019